कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email- Nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-2767611

पत्रांक:- 3019 /FP/UK/ROAD/145620/2021 दिनांक: देहरादून 17 जून, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड,
देहरादून।

विषयः– जनपद– चमोली में आलयू से चलियापानी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.383 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन। FP/UK/ROAD/145620/2021

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का ई0डी0एस0 दिनांक 21.04.2022।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 21.04.2022 के सम्बन्ध में वन संरक्षक गढवाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 2818/12–1 दिनाक 07.06.2022 के द्वारा से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0स0	प्रश्न	उत्तर
1	यह पाया गया है कि वर्तमान मार्ग से लाभान्वित ग्राम आलयू की पैदल दूरी 500 मी0 है, इस सम्बन्ध मे राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण PWD के Norms के अनुसार ग्राम को जोडने हेतु नियमो के सम्बन्ध में जानकारी तथा टिप्पणी प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	वन संरक्षक गढवाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 2818/12–1 दिनांक 07.06.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या 8167/III(2)/18-15(सामान्य)2018 दिनांक 31.12.2018 (संलग्न) के अनुसार 100 मी0 vertically की दूरी पर ग्राम सड़क से जुडा माना जाता है। ग्राम आलयू की वर्तमान मार्ग से पैदल दूरी 500 मी0 है। ग्रामवासियों को यह पैदल दूरी लगभग तीखे ढाल (चडाई व उतराई) में तय करनी पड़ती है जो कि 100 मी0 vertical से अधिक है। ग्रामवासियों की माग के आधार पर उक्त कार्य की वित्तीय स्वीकृति कार्यालय जिलाधिकारी चमोली के पत्रांक 1233/जि0ओ0/2015716 दिनांक 11.08.2015 रू0 2.00 लाख (प्रथम चरण) द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।
2	प्रस्ताव के अवलोकन उपरान्त यह ज्ञात होता है कि क्षेत्र में पूर्व से ही मार्ग उपस्थित है तथा घने वन क्षेत्र से अतिरिक्त मार्ग का औचित्य स्पष्ट नहीं है।	वन संरक्षक गढवाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 2818/12–1 दिनांक 07.06.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग थराली द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग का निर्माण ग्राम आलयू से चलियापानी तक किया जाना है चलियापानी नामक स्थान मोटर मार्ग नारायणबगड़ परखाल–चोपता पर स्थित है जो कि MTRL (Major Road Link) की श्रेणी में है तथा दूसरा मोटर मार्ग परखाल नामक स्थान से ग्राम डुंग्री आलयु तक जाता है, इस मोटर मार्ग के End Point से ग्राम आलयु की दूरी लगभग 500 मी0 है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण का उदेश्य नजदीकी Existing Road के End point को ग्राम आलयू होते हुए चलियापानी नामक स्थान (मोटर मार्ग नारायणबगड़ परखा–चोपता) से जोडना है क्योंकि यह मार्ग आगे जाकर NH-58 से जुडता है व इससे ग्राम आलयू की महत्वपूर्ण स्थलों जैसे जिला मुख्यालय चमोली राजधानी देहरादून की दूरी कम हो जायेगी। वहीं अगर ग्राम आलयू को नजदीकी Existing Road से जोडा जाता है तो ऐसा होने से ग्राम आलयू की महत्वपूर्ण स्थलों से दूरी लगभग 50–60 कि0मी0 अधिक हो जायेगी। साथ ही ग्राम आलयू के निवासियों को

R_PD backup

		चलियापानी आने के लिये घने वन क्षेत्र से गुजरना पडता है। जिससे जगली जानवर, भालू, बाघ आदि के आक्रमण का खतरा बना रहता है। अत उक्त प्रस्ताव का गठन ग्राम आलयू को चलियापानी नामक स्थान (मोटर मार्ग नारायणबगउ परखाल चोपता) को जोडने हेतु गठित किया गया है।
3	प्रस्ताव मे वैकल्पिक समरेखण में भी उचित परीक्षण नही किया गया है अतः राज्य सरकार प्रस्तावित Connectivity हेतु वैकल्पिक समरेखण का उचित परीक्षण कर पूर्व जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करें।	वन संरक्षक गढवाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौडी के पत्राक 2818/12-1 दिनाक 07.06.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग का निर्माण ग्राम आलयू से चलियापानी तक किया जाना है। चलियापानी नामक स्थान मोटर मार्ग नारायणबगड परखाल चोपता पर स्थित है तथा दूसरा मोटर मार्ग परखाल नामक स्थान से ग्राम डुंग्री होते हुए ग्रम आलयूं तक जाता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण का उदेश्य नजदीकी Existing Road के End point को ग्राम आलयू होते हुए हुए चलियापानी नामक स्थान (मोटर मार्ग नारायण-परखाल-चोपता) से जोड़ना है, क्योकि यह मार्ग आगे जाकर NH-58 से जुडता है, व इससे देहरादून की दूरी कम हो जायेगी। साथ ही प्रथम (मुख्य) समरेखण में मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम डुंग्री के निवासियों को भी लाभ मिलेगा, जो कि वर्तमान मे पूर्व निर्मित मार्ग (नारायणबगड-परखाल-डुगी) का प्रयोग कर रहे हैं और उन्हें भी महत्वपूर्ण स्थलो को आवागमन हेतु काफी दूरी तय करनी पडती है। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक समरेखण का नजदीकी Existing Road से कही भी मिलान नहीं हो रहा है। जिससे ग्राम डुंग्री के निवासियो को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही दोनों समरेखण का विस्तृत तुलनात्मक विवरण ऑनलाईन अपलोड कर लिया गया है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम मे प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक।

संख्या-3019 / FP/UK/ROAD/145620/2021 दिनांकित।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक गढवाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौडी के पत्राक 2818/12-1 दिनाक 07.06.2022 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, थराली।

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक।

R PD backup